

Sch XIV.F.No. 180V

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
लगान रसीद

V



जिला का नाम - धनबाद
अनुमण्डल का नाम - धनबाद
अंचल का नाम - धनबाद
मौजा - पाण्डुपानी 04
थाना वी थाना नम्बर

रसीद क्रमांक JH 21 A097664
रैयत का नाम श्रीमती चिन्ता देवी
पिता का नाम श्री राजेश 4414
जमाबन्दी नम्बर 4203

खता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
7	25/49/252	3.47 इंच

जोत की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	बकाया			2015-16	2016-17
		3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	
हाल						
लगान	3.00				3.00	3.00
सेस	0.81				0.81	0.81
*ब्याज	1.50				1.50	1.50
विविध	1.50				1.50	1.50
योग	0.81				0.81	0.81
	2.57				2.50	2.50

अदायगी	भुगतान का विवरण			2015-16	हाल	अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	2016-17	
लगान				3.00	3.00	
सेस				0.81	0.81	
*ब्याज				1.50	1.50	
विविध				1.50	1.50	
योग				0.81	0.81	
				2.50	2.50	


- कुल योग शब्दों में
- नाम अदाकर्ता
- कुल बकाया

1500 पन्डुपानी 4414 2.50 2.50
- श्री 13/04/16

(हल्का कर्मचारी)

हस्ताक्षर एवं दिनांक

* खास महाल का बकाया आलमगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



आवेदन की तिथि- 10/01/15
 अधिसूचना तिथि- 12/01/15
 निर्गत तिथि- 13/01/15

कार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खांज) दिखानेवाला शुद्धि-फार्म
 धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद हल्का सं०-(1) स्टेट का नाम- झारखण्ड


1	क्रम संख्या								
2	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण संस संख्या	दा० खा० 1335 (1) 14-15							
3	गाँव	यादवपुरा							
4	थाना और थाना संख्या	धनबाद 04							
5	नामान्तरण और सम्बद्ध अप्रयुक्त की संख्या	खाता- 07 प्लॉट- 251, 252 रकबा- 3.47 कड़िया 53351 बाला- 2 00 8 3 0 0 0							
6	नामान्तरण मंजूर करनेवाला अधिकार और आदेश की तारीख	अंचल अधिकारी, धनबाद							
7	नामान्तरण किस कारण से होना है बिक्री, दान, विनिमय, उत्तराधिकार या बदला हुआ है ?	बिक्री / उत्तराधिकारी दलील संख्या - 9842 दिनांक - 10/12/14							
8	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	पुराना जमा०- 01 पुराना रैयत- खुदी राम पाली नया रैयत- श्रीमती चित्रा देवी पते - श्री रामेश्वर सा - फी स्ट कोला वाच पीपलकमि, रोड, धनबाद							
9	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	जमा संख्या 1335							
10	अभियोग								

ज्ञापक संख्या 1335 ता० 13/01/15
 कर्मचारी हल्का सं० (1) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भजी जाती है।

अंचल अधिकारी, धनबाद

मेरे द्वारा फोटोकापी किया गया !
 9.2.11/15

21/02/15
 धनबाद सहायक
 कर्मचारी



சட்டமன்றப் பேரவை
தமிழ்நாடு
சட்டமன்றப் பேரவை
சட்டமன்றப் பேரவை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை
சட்டமன்றப் பேரவை



आवेदन की तिथि- 10/04/15
 अधिसूचना तिथि- 12/04/15
 निर्गत तिथि- 15/04/15

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या.....1335 (J) / 2014-15

(1) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
26/12/14	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>श्रीमती देवी</u> पिता/पति <u>श्री. राजेश कुमार</u> थाना <u>धनबाद</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा <u>साकम कोरेस्ट कोलेनी</u> मौजा नं० <u>१५</u> खाता नं० <u>१३</u> प्लॉट नं० <u>२५१, २५२</u> रकबा <u>३.५३.५५१.२१.३.३३.३</u> दलील सं० <u>२५३</u> दिनांक <u>१०/०४/१५</u> के द्वारा श्री/श्रीमती <u>श्री. देवी</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जांच हेतु अंचल अधिकारी निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>१०/०४/१५</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जांच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>
११/०४/१५	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं० <u>०३</u> में विक्रेता को विक्रेता के <u>सुदी राम</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अक्सर मुद्रांक की राशि को कोषामार में जमा कर दलील को वैध करा लिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०००००० एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह <u>सुदी राम</u> C.N.T Act की धारा 46 (1) से भुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>स्वीकृत</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

शुद्धि पत्र प्राप्त किया

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।

प्राप्त अंचल अधिकारी कार्यालय

